

प्रो-फार्मा ४

(भविष्य निर्वाह निधि से अंतिम निष्कासन (Final Withdrawal) की स्वीकृत प्रदान करने के आदेश का प्रारूप)

कार्यालय ज्ञाप

सत्र न्यायाधीश, सीतापुर

१. एतद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी राम कुशल, 3192 जिला ५वें को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एल०जे०पू० 20847 से आवासीय प्लेन प्रयोजन के व्यय वहन करने हेतु 20,00,000/- रुपये (शब्दों में) बीस लाख मात्र का अंतिम निष्कासन सामान्य भविष्य निधि (उ०प्र०) नियमावली, १९८५ के नियम संख्या 16(1)(2)(a) संशोधित 17(1)(a) के अनुसार स्वीकार किया जाता है।

२. अंतिम निष्कासन की धनराशि श्री/श्रीमती/कुमारी राम कुशल के ~~छ माह~~ के वेतन अथवा निधि में जमा अवशेष के आधे/तीन चौथाई भाग से अधिक नहीं होगी। मूल नियमावली- (फण्डामेंटल रूल) में यथापरिभाषित उनका मूल वेतन 1,83,719/- रु० है।

३. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी राम कुशल ने दिनांक 17/03/2011 को अपनी सरकारी सेवा के पन्द्रह/तीस वर्ष पूरे कर लिये हैं, १० वर्ष में अधिवाषिकी पर सेवा निवृत्त होंगे/होंगी।

४. दिनांक 01/11/19 को उपलब्ध कराये गये अभिलेख की स्थिति के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी राम कुशल के खाते में जमा अवशेष राशि का ब्योरा निम्न प्रकार है।

(१) वर्ष 2018-19 की लेखा पर्ची/सामान्य भविष्य निधि पास बुक की विवरणिका के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि रु० 42,79,302/-
(२) माह मार्च, 19 से माह अक्टूबर, 19 तक प्रतिमाह की दर से अभिदान रु० 1,05,000/-
(३) माह से माह तक प्रतिमाह रु० + की दर से अग्रिम की गसूली रु० (फ)
(४) मद (१), (२) तथा (३) का योग रु० 43,84,302/-
(५) बाद में स्वीकृत अंतिम निष्कासन, यदि कोई हो रु०
(६) स्वीकृत प्रदान करने की तिथि को अवशेष मद रु०

(४) में से मद (५) गटाइये (क) वर्ष की लेखा-पर्ची के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी को पिछली बार आदेश संख्या दिनांक

द्वारा रु० का कोड अंतिम निष्कासन स्वीकार नहीं किया गया था।

(ख) ज्ञात हुआ है कि श्री को (जैसा कि उन्होंने बताया) (स्वीकृत कर्ता) द्वारा पिछली बार अंशतः अंतिम निष्कासन के रूप में रु० की स्वीकृत प्रदान की गई थी।

दिनांक

सक्षम अधिकारी,
न्यायाधीश,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।